शेख हसीना के प्रत्यर्पण का आग्रह

स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स

हाल ही में भारत को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री **शेख हसीना के प्रत्यर्पण** (Extradition) के संबंध में बांग्लादेश से एक **नोट वर्बेल (अहस्ताक्षरित राजनयिक पत्राचार) प्राप्त हुआ।**

- शेख हसीना पर **छात्रों द्वारा किये गए विरोध प्रदर्शनों** के दौरान **सामूहिक हत्याओं का आरोप है**, जिसके लिये बांग्लादेश की अंतरिम सरकार उन पर **मुकदमा चलाना चाहती है।**
- **बांग्लादेश द्वारा शेख हसीना को भारत-बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि 2013 , जिसे वर्ष 2016 में संशोधित किया गया था,** के तहत वापस भेजने की मांग की जा सकती है।
- **संधि के अपवाद:**
    - **अनुच्छेद 6:** यदि जिस अपराध के संदर्भ में अनुरोध किया गया है वह राजनीतिक प्रकृति का है तो प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है।
    - **अनुच्छेद 8:** किसी व्यक्ति को **प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता** यदि उसके विरुद्ध **"न्याय के हित में सद्भावपूर्वक"** आरोप न लगाया गया हो।
- **वर्ष 2016 का संशोधन: इसका उद्देश्य** प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को **सरल एवं त्वरित बनाना करना** था
    - **अनुच्छेद 10 (3):** इसने प्रत्यर्पण का अनुरोध करने वाले देश की ओर से **साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने** की आवश्यकता को **समाप्त कर दिया।**
    - **सक्षम न्यायालय: प्रत्यर्पण के लिये सक्षम न्यायालय** द्वारा जारी **अरेस्ट वारंट** ही पर्याप्त है। उल्लेखनीय है कि शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में कई अरेस्ट वारंट जारी किये गए हैं।
- इस संधि के तहत भारत को वर्ष **2015 में उल्फा** नेता अनूप चेतिया को प्रत्यर्पित कराने का अवसर प्राप्त हुआ था।

//

और पढ़ें: [प्रत्यर्पण]

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/extradition-request-for-sheikh-hasina